प्रथम अपील अधिकारी, सूचना का अधिकार अधिनियम
एवं जिला कलक्टर उदयपुर
निर्णय द्वारा अध्यासित गौरव अग्रवाल आई.ए.एस.

प्रकरण संख्याः **101/2026** (अपील सूचना का अधिकार)

सुरेश कुमार कोठारी पुत्र स्व. सोहन लाल कोठारी निवासीः कन्याशाला के पास, तहसील–वल्लभनगर, उदयपुर

..............अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.), उदयपुर

..................प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 27/05/2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत एक अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा शासन उप सचिव(गुप–1) विभाग, जयपुर को प्रेषित सूचना आवेदन पत्र दिनांक 05.03.2026 को प्रत्यर्थी के कार्यालय में अंतरित किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करायी जाने से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पर जवाब तथा सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय के पत्रांक रीडर/सू.अ.2005/प्रथम अपील/101/26/ 604–05 दिनांक 30.04.2026 से लिखा गया। प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशा.) उदयपुर ने जरिये पत्राक प./41/2/सू.अ/प्र.अ.स./101/26/754–55 दिनांक 06.05.2026 से प्रत्युत्तर प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 01.04.2026 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। चाही गई सूचना संबंधित अनुभाग से प्राप्त कर प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 683 दिनांक 16.04.2026 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) एवं 7(2) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क अनुसार नियमानुसार 2 रुपये प्रति पेज के माध्यम से कुल पृष्ठ संख्या 09 अनुसार राशि 18 रुपये राजकोष मे जमा कराने हेतु सूचित कर दिया गया था। अतः अपीलार्थी को निर्देशित करे कि चाही गई सूचना के संबंध में वांछित शुल्क राजकोष में जमा करा उक्त सूचना प्राप्त करे।

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector and District Magistrate
Date: 2026.05.27 19:25:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22502137
M e-Sign

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना से संबंधित वांछित शुल्क जमा कराने हेतु जरिये पत्रांक 683 दिनांक 16.04.2026 से लिखा गया परन्तु अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क जमा नहीं कराये जाने से प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं करवायी जा सकी। प्रथम दृष्टया यह कार्यालय प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब से संतुष्ट है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। यदि अपीलार्थी द्वारा वांछित शुल्क राजकोष में जमा कराया जाता है तो प्रत्यर्थी नियमानुसार सूचना उपलब्ध कराये। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(गौरव अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी,
सूचना का अधिकार अधि. एवं
जिला कलक्टर, उदयपुर

प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, उदयपुर
सत्यमेव जयते

Signature valid
Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation : Collector and District Magistrate
Date: 2026.05.27 19:25:32 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22502137
M e-Sign